

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जून 2021—आषाढ़ 4, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

देवास विकास प्राधिकरण, देवास
चामुण्डा कॉम्प्लेक्स ए. बी. रोड, देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 18 जून 2021

प्रारूप अठारह

[नियम 19 (5) देखिए]

[धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना]

क्र. 1188.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि तहसील देवास नगर के अन्तर्गत मिनी सुपर कोरिडोर, आवास मार्ग एवं उद्यान के प्रयोजन हेतु देवास विकास प्राधिकरण, देवास द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.डी.एस. 06/2020 यथा इंदौर, देवास रोड टाटा चौराहा के ग्राम अमोना, बिन्जाना, बीराखेड़ी, मेढ़कीचक एवं नागूखेड़ी से होते हुए उज्जैन रोड तक तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप-नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:

1. देवास विकास प्राधिकरण, देवास, चामुण्डा कॉम्प्लेक्स ए. बी. रोड, देवास, मध्यप्रदेश.

2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, देवास, जिला—देवास तथा, प्राधिकरण की वेबसाइट www.ddadewas.org पर भी प्रकाशित।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताकरक्ती के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जाएगा।

विशालसिंह चौहान
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
देवास विकास प्राधिकरण, देवास।